वर्ष २०१८ के लोक प्रशासन के विशेषांक का विषय पर्यावरण विकास तथा नियामकीय संस्थाओं की भूमिका

आज व्यापक स्तर पर यंत्रीकरण एवं औद्योगिकीकरण के कारण वातावरण इतना विषाक्त हो गया है कि न हम शुद्ध हवा में सांस ले सकते हैं, न स्वच्छ जल पी सकते है और न ही पौष्टिक पदार्थ खा सकते है इसलिए हम तरह–तरह की शारीरिक व मानसिक व्याधियों के शिकार हो रहे है। जहरीली गैसों के रिसाव से लाखों मनुष्यों की मृत्यु हो रही है इसमें तनिक भी संदेह नहीं यदि यह क्रम बना रहा तो विकास प्रक्रिया में मानव स्वयं ही लुप्त हो जायेगा और विकास तथा विनाश एक दूसरे के पर्याय हो जायेंगे।

इन समस्याओं का हमारे दूरदर्शी संविधान निर्माताओं ने पहले ही अनुमान लगा लिया था अतः इसलिए संविधान के निति निर्देशक तत्व की धारा 48 (A) में पर्यावरण की रक्षा हेतु विस्तृत प्रावधान किया, जिसके अंतर्गत नियामकीय संस्थाओं के सम्बन्ध में व्यवस्था की गई है।

जब हम नियामकीय संस्थाओं की बात करते है तो पहला प्रश्न हमारे सामने यह आता है कि नियामकीय संस्थाएं क्या हैं? यह सरकारी संरचना द्वारा निर्मित व्यवस्थाएं हैं जिन्हें विधायन, क्रियान्वयन से संबंधित न्यायिक अधिकार भी प्राप्त हैं। यदि हम कोई व्यवसाय भी शुरू करते हैं तो सबसे पहले उसका खाका तैयार करते हैं उससे संबंधित नियम बनाते हैं तथा उसे लागू करते हैं ठीक उसी तरह पर्यावरण सम्बन्धी कानून समाज की स्वास्थ्य सुरक्षा आदि सम्बन्धी नियम बनाते हैं और उसे लागू करते हैं नियामकीय संस्थाएं मुख्य रूप से दो प्राथमिक कार्य करती हैं यह है (क) नियम बनाना और (ख) उस नियम को प्रभावी ढंग से लागू करना। यह संस्थाएं मूल रूप से संज्ञातय व्यवसाय के अंतर्गत आती हैं और पर्यावरण की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य की रक्षा करने में अहम भूमिका निभाती हैं।

जैसा की संवैधानिक व्यवस्था है उसी सन्दर्भ में 1974 में संविधान के 42वें संशोधन के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई की राज्य सरकार पर्यावरण का संरक्षण, सुरक्षा, जंगलों, तथा जंगलीय जानवरों की रक्षा करेगी। बाद में इन्हें मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत भी समाहित किया गया। अतः यह महसूस किया गया कि देश में नियामकीय संस्थाओं का गठन किया जाए ताकि पर्यावरण की रक्षा हो सके। यह संस्थान दोहन, प्राकृतिक स्रोतों का गलत उपयोग तथा हाशियायी समुदायों की रक्षा करे।

साथ ही यह परियोजना पर दृष्टि रखेगी इन पर लगातार निगाह रखेगी, आदि। इस सन्दर्भ में 31 मार्च 2014 को उच्चतम न्यायालय के तीन न्यायाधीश द्वारा केंद्र सरकार को यह निर्देश दिया कि पर्यावरण मंत्रालय, वन मंत्रालय एव जलवायु क्षेत्र में निगाह रखे। 1986 अधिनियम के अनुसार नियामकीय संस्थाओं को निम्नलिखित निर्देश दिए गए:

(क) नियामकीय आयोग को अधिकार होगा कि वह औद्योगिक परियोजना की अनुमति दे।

(ख) उनका पर्यावरण पर क्या असर पड़ता है? इसका मूल्यांकन करें।

(ग) यह सुनिश्चित करे की राज्य सरकार पर्यावरण सम्बन्धी अनुमति दे इत्यादि।

साथ ही केंद्रीय सरकार ने एक अंतर मंत्रालय संस्था 2014 में बनाया है जो उसकी गुणवत्ता पर विचार करे।

जैसा की पहले कहा जा चुका है नियामकीय संस्थाए राज्य और केंद्र सरकार दोनों ही निर्मित कर सकती हैं। जिसके लिए समय–समय पर कानून बनाये गए हैं। हमारे यहां पर्यावरण सम्बन्धी नियामकीय संस्थाओं की लम्बी सूची है (विशेष जानकारी के लिए इन्टरनेट की मदद लें)।

लेखकों से अनुरोध है कि वह अपना विद्वतापूर्वक लेख कम से कम 3000 और अधिक से अधिक 5000 शब्दों तक ही सीमित रखे तथा वह 30 जून 2018 तक भेजने की कृपा करें। लेख के साथ 150 शब्दों का सारांश भी भेजने की कृपा करें। आलेख की सॉफ्ट कॉपी ईमेल द्वारा ijpa2012@gmail.com पर भेजें।

डाक द्वारा निम्नलिखित पते पर प्रेषित करें।

नि. चटर्जी

संपादक (लोक प्रशासन)

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान

आई पी एस्टेट, रिंग रोड, नई दिल्ली– 110002